अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा

दि. 20/08/2017 को
कार्यकारी मंडल की वृंदावन बैठक में पारित विधान

केन्द्रीय कार्यालय :
'माहेश्वरी महासभा भवन',
आग्याराम देवी मंदिर रोड,
एस.टी. स्टैंड चौक, गणेशपेठ, नागपुर-440 018.
फोन : (0712) 2736625, 2734205

प्रकाशक :
संदीप काबरा
महामंत्री
अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा
मो. 09828108017
kabrajodhpur@gmail.com

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा
एक नजर में

पूर्वांचल

1. कोलकाता
2. पश्चिम बंगाल
3. बिहार–झारखंड
4. उड़ीसा
5. आसाम (पूर्वोत्तर)
6. नेपाल चेप्टर

उत्तरांचल

1. उत्तरप्रदेश (पूर्व)
2. उत्तरप्रदेश (मध्य)
3. उत्तरप्रदेश (पश्चिम)
4. दिल्ली
5. पंजाब–हरियाणा

पश्चिमांचल

1. राजस्थान (उत्तर)
2. राजस्थान (पूर्वोत्तर)
3. राजस्थान (मध्य)
4. राजस्थान (पूर्व)
5. राजस्थान (दक्षिण)
6. राजस्थान (पश्चिम)

मध्यांचल

1. छत्तीगढ़
2. मध्यप्रदेश (पूर्व)
3. मध्यप्रदेश (पश्चिम)
4. गुजरात
5. विदर्भ

दक्षिणांचल

1. मुम्बई
2. महाराष्ट्र
3. आन्ध्रप्रदेश–तेलंगाना
4. तामिलनाडु
5. कर्नाटक–गोवा

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा
28 वां सत्र 2016-2019 पदाधिकारीगण

श्री श्यामसुंदर सोनी (नागपुर) – सभापति
मो. 09910648224, 09822369996, visionabmm2020@gmail.com

श्री संदीप काबरा (जोधपुर) – महामंत्री
मो. 09828108017, kabrajodhpur@gmail.com

श्री रामेश्वरलाल काबरा (मुंबई) – अर्थमंत्री
मो. 09820131345, rlkabra@rkabra.net

श्री अजय काबरा (भदोही) – संगठन मंत्री
मो. 09839049109, ajaykabrabhadohi@gmail.com

श्री रमेश तापड़िया (काठमांडू) – उपसभापति–पूर्वांचल
मो. 00977–9851043714, ramesh.taparia@hotmail.com

श्री अशोक सोमाणी (रेवाड़ी) – उपसभापति–उत्तरांचल
मो. 09812345677, mines@somanyimpex.ind.in

श्री मोहन राठी (भिलाई) – उपसभापति–मध्यांचल
मो. 09425552191, vpmadhyanchalabmms@gmail.com

श्री देवकरण गग्गड़ (भीलवाड़ा) – उपसभापति–पश्चिमांचल
मो. 08955753509, abmm@sangamgroup.com

श्री अशोक बंग (नासिक) – उपसभापति–दक्षिणांचल
मो. 09422257513, ashokbang11@gmail.com

श्री नंदकिशोर लखोटिया (कोलकाता) – संयुक्त मंत्री–पूर्वांचल
मो. 09830150693, nandu_lakhotia@yahoo.com

श्री कौशल किशोर पल्तानी (कासगंज) – संयुक्त मंत्री– उत्तरांचल
मो. 09837987061, kkpaltani@gmail.com

श्री शरद गट्टानी (अहमदाबाद) – संयुक्त मंत्री–मध्यांचल
मो. 09426069001, gattanisharad@yahoo.co.in

श्री श्यामसुंदर मंत्री (कुचामन सिटी) – संयुक्त मंत्री–पश्चिमांचल
मो. 09829078500, ssmantri26@gmail.com

श्री सतीश चरखा (जलगांव) – संयुक्त मंत्री–दक्षिणांचल
मो. 09822000939, charkha.satish@gmail.com

श्री सज्जनकुमार मोहता (पुलगांव) – कार्यालय मंत्री–सभापति कार्यालय
मो. 07666994770, sajjankm52@gmail.com

श्री जुगलकिशोर सोमाणी (जयपुर) – कार्यालय मंत्री–महामंत्री कार्यालय
मो. 09314521649, 09414011649, jksomanijaipur@gmail.com

विधान संशोधन समिति 28वां सत्र

संयोजक : श्री अशोकजी इन्नानी, इंदौर
सदस्य : श्री भगवानदासजी दम्मानी, गुवहाटी
श्री राधेश्यामजी सोमानी, भीलवाडा
श्री मधुसूदनजी गांधी, डोंबिवली
श्री संजीवजी चांडक, वाराणसी

विधान संशोधन परामर्श समिति 28वां सत्र

संयोजक : श्री प्रकाशचंद्रजी बाहेती, खंडवा
सदस्य : श्री रामपालजी सोनी, भीलवाडा
श्री संदीपजी काबरा, जोधपुर
श्री देवकरणजी गग्गड, भीलवाडा
श्री विजयजी चांडक, नागपुर
श्री अशोकजी बंग, नासिक
श्री सतीषजी चरखा, जलगांव
श्री रमेशजी मरदा, मुंबई
श्रीमती गीता देवी मूंदडा, इंदौर

विधान संशोधन समिति 26वां सत्र

संयोजक : श्री रमेशजी मरदा, मुंबई
सदस्य : श्री रमाशंकरजी झॅवर, कोलकाता
श्री अनिलजी मानधनी, गोरखपुर
श्री अशोकजी बंग, नासिक
श्री अशोकजी डागा, इंदौर

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा
विधान

01. नामः

इस संस्था का नाम अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा होगा।

02. कार्यक्षेत्रः

भारतवर्ष सहित अन्य ऐसे सभी देश जहां माहेश्वरी निवास करते हैं,महासभा का कार्यक्षेत्र होगा।

03. उद्देश्यः

विश्व के समस्त निवासियों की उन्नति एवं प्रगति के व्यापक दृष्टिकोण के साथ माहेश्वरी समाज की समयानुकूल सर्वांगीण उन्नति करना जिससे माहेश्वरी समाज विश्व का प्रगतिशील घटक बना रहे।

समाज के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य व मानसिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना।

04. उद्देश्य पूर्ति के मार्गः

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित एवं संबंधित कार्य करना।

01. आवश्यक संस्थाओं की स्थापना करना एवं स्थापित संस्थाओं को सहयोग देना एवं सहयोग लेना
02. महासभा के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, परिचर्चा, समारोह, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, खेलकूद व्यायाम, योग, चलचित्र, नाटक आदि विविध कार्यक्रम आयोजित करना अथवा कराना।
03. पत्र-पत्रिकाएं स्मारिका एवं प्रचार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण करना।
04. समाज के एवं महासभा के इतिहास के साथ समाज की उच्च गुणवत्ता को प्रदर्शित करने वाला साहित्य प्रकाशित करना, समाज के विशिष्ट गुणों के बारे में अनुसंधान करना, करवाना एवं उसका प्रचार करना।
05. रोजगार, व्यवसाय आदि के इच्छुक व्यक्तियों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना। इस हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शन, सेमिनार आदि का आयोजन करना अथवा करवाना।
06. सहकारी, सरकारी संस्थाओं एवं न्यासों के माध्यम से व्यवसायिक एवं आवासीय सुविधाएँ बढ़ाना।
07. समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता करना अथवा करवाने की व्यवस्था करना। नैसर्गिक आपत्ति जैसे - बाढ़,अतिवृष्टि,अनावृष्टि,भूकंप, अग्निकोप आदि से ग्रस्त बंधुओं को सहयोग देना एवं इस हेतु ब्याज रहित अथवा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना।
08. समाज के असहाय, बेरोजगार, दिव्यांग, अस्वस्थ, गंभीर बीमारी से ग्रस्त, निराश्रित एवं जरुरतमंद व्यक्तियों को सहयोग देना, इस हेतु विभिन्न ट्रस्ट, संस्थाएं अथवा अवयव/ईकाई/एसोसिएट स्थापित करना अथवा करवाना।
09. समाज में व्याप्त कुरीतियों व विसंगतियों को दूर कर स्वस्थ परंपराओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करना।
10. बालक, बालिकाओं व युवाओं को सुसंस्कारित करने हेतु संस्कार शिविर आयोजित करना एवं साहित्य सृजन करना तथा अवयवों के माध्यम से इनका आयोजन करना एवं कराना।
11. महासभा द्वारा स्थापित व संचालित अवयवों द्वारा यथा संभव अन्य देशवासियों की सेवा करना।
12. जिन संस्थाओं द्वारा समाज के लोगों का हित होता हो उनको सहयोग देना, ऐसी संस्थाओं का संचालन करना एवं राष्ट्रीय, सामाजिक व जनकल्याण के अन्य कार्यों में भाग लेना अथवा सहयोग करना।
13. युवक-युवती परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह, सहकारी विवाह आदि स्थानीय, तहसील, जिला अथवा प्रादेशिक संस्थाओं द्वारा आयोजित करवाना। विवाह सहयोग केंद्र स्थापित करने की प्रेरणा देना।
14. जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना एवं दिलवाने की व्यवस्था करना तथा इस हेतु ट्रस्ट स्थापित करना अथवा कराना।
15. तकनीकी एवं उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को मार्गदर्शन एवं सहयोग देना। इस हेतु ट्रस्ट एवं अन्य संस्थाएं स्थापित करना अथवा कराना।
16. सहकारी औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को स्थापित एवं संचालित करने की प्रेरणा देना व उनमें सहयोग करना। इस हेतु अलग संस्थाएं या ट्रस्ट स्थापित करना अथवा कराना और उनके द्वारा समाज एवं देशवासियों की प्रगति में सहयोगी बनना।

17. आतंकवाद, प्रदेशवाद, भाषावाद आदि से समाज संरक्षण का प्रयास करना।
18. निर्धारित कार्यों एवं योजनाओं के लिए धन संग्रह करना, आवश्यकतानुसार ब्याज-सहित अथवा ब्याज-रहित ऋण लेना। चल अथवा अचल संपत्ति प्राप्त करना व धारण करना। संपत्ति संबंधी क्रय, विक्रय, ऋण, बंधक, लीज आदि के अधिकार ग्रहण करना एवं तत्संबंधी नियम बनाना।
19. वृहद शिक्षा केंद्रों वाले नगरों में उच्च शिक्षा हेतु आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना अथवा छात्रावास निर्माण करने हेतु प्रेरित करना।
20. समाज के उद्यमशील व्यक्तियों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना।
21. समाज के अल्प आय वाले परिवारों के बालकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करना इस हेतु आवश्यक न्यास बनाना एवं अन्य माध्यमों से इस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करना।
22. अन्य ऐसे कार्य करना जिससे समाज की उन्नति हो।

05. परिभाषाएं:

इस विधान में उल्लेखित विशिष्ट शब्दों का अर्थ निम्नानुसार समझा जाएगा :-

01. ''महासभा'' शब्द से तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा से है।
02. ''माहेश्वरी'' शब्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो स्वयं को माहेश्वरी कहते हैं, जिन्हें समाज माहेश्वरी मानता है तथा जिनकी खाँप माहेश्वरी जाति की खापो में से है।
03. ''समाज'' से तात्पर्य माहेश्वरी समाज से है।
04. ''कार्यकारी मंडल'' से तात्पर्य महासभा के विधीवत गठित कार्यकारी मंडल से है।
05. ''कार्यसमिति'' से तात्पर्य महासभा की विधिवत गठित कार्यसमिति से है।
06. ''अंचल'' से तात्पर्य महासभा द्वारा निर्धारित विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से है।
07. ''प्रादेशिक सभा'' से तात्पर्य महासभा द्वारा निर्धारित प्रादेशिक क्षेत्र की सभा से है।
08. ''जिला सभा'' से तात्पर्य निर्धारित जिला क्षेत्र की सभा से है।
09. ''तहसील सभा'' से तात्पर्य निर्धारित तहसील क्षेत्र की सभा से है।
10. ''ग्राम/नगर सभा'' से तात्पर्य ग्राम/नगर स्तर की सभा से है।
11. ''युवा संगठन'' से तात्पर्य महासभा द्वारा स्थापित अ.भा. माहेश्वरी युवा संगठन से है।
12. ''महिला संगठन'' से तात्पर्य महासभा द्वारा स्थापित अ.भा. माहेश्वरी महिला संगठन से है।
13. ''प्रोफेशनल सेल'' से तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा द्वारा गठित प्रोफेशनल सेल से है।
14. ''सत्र'' का तात्पर्य कार्यकाल से है।
15. ''महासभा अवयव/ईकाई/एसोसिएट'' से तात्पर्य उन समितियों एवं संस्थाओं से है जो धारा 8 (अ) (आ) में उल्लेखित है।
16. ''इकाईयाँ'' अथवा महासभा इकाईयाँ से तात्पर्य उन ट्रस्टों से है जो धारा 8 (आ) में उल्लेखित है।
17. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से तात्पर्य-महासभा द्वारा निर्धारित प्रपत्र द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी से है।

06. कार्यालय

01. सभापति कार्यालय- महासभा के सभापति का कार्यालय महासभा का ''सभापति कार्यालय'' होगा।
02. महामंत्री कार्यालय- महासभा के महामंत्री का कार्यालय महासभा के ''महामंत्री कार्यालय'' होगा।
03. स्थाई केंद्रीय कार्यालय-महासभा का स्थाई केंद्रीय कार्यालय नागपुर में रहेगा जहाँ महासभा से संबंधित समस्त अभिलेख, प्रपत्र एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री रखी जा सकेगी तथा जहां महासभा द्वारा नियुक्त कर्मचारी होंगे।

07. बहिष्कार विषयक नीति

महासभा में प्रस्तुत होने वाले किसी भी प्रस्ताव में सामाजिक बहिष्कार की नीति को स्थान नहीं दिया जाएगा।

08. महासभा का संगठन -

अ. निम्न विधिवत गठित समितियां/ संस्थाएं, महासभा के अवयव/ईकाई/एसोसिएट कहलाएंगे।

01. कार्यसमिति
02. कार्यकारी मंडल
03. प्रादेशिक सभाएँ

04. जिला सभाएं
05. तहसील/तालुका सभाएं
06. ग्राम एवं नगर सभाएं एवं नगर की क्षेत्रिय सभाएं
07. अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन
08. अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन
09. महासभा द्वारा प्रकाशित मुखपत्र 'माहेश्वरी' का संचालक मंडल (बोर्ड)
10. महासभा द्वारा गठित अ.भा. माहेश्वरी प्रोफेशनल सेल

(आ) माहेश्वरी महासभा द्वारा प्रेरित निम्न संस्थाएं महासभा की इकाइयां कहलाएगी।
01. श्री कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट।
02. श्री कोठारी बंधु शौर्य स्मृति ट्रस्ट।
03. श्री आदित्य विक्रम बिड़ला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र।
04. श्री रामगोपाल माहेश्वरी स्मृति शिक्षा केंद्र।
05. श्री बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र।
06. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट-श्री गंगाधर बंसीलाल राठी माहेश्वरी छात्रावास पुणे।
07. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-सेठ मीठालाल राठी एवं सेठ श्री किशनदास डागा माहेश्वरी छात्रावास, भिलाई।
08. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-श्री बालचंद मोदी माहेश्वरी छात्रावास, कोटा।
09. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट- श्रीमती केसरबाई सोनी माहेश्वरी विद्यार्थी गृह, मुंबई।
10. श्री बांगड माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसायटी।
11. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-श्री जयचंदलाल करवा माहेश्वरी हॉस्टल, दिल्ली।
12. अ.भा. माहेश्वरी ऐजुकेशनल ट्रस्ट, इन्दौर श्रीमती सीतादेवी जयनारायण जाजू छात्रावास, इन्दौर
13. अ.भा.माहेश्वरी ऐजुकेशनल ट्रस्ट, श्री प्रभुलाल जगदीशप्रसाद सोमानी छात्रावास, भीलवाड़ा
14. ए.बी. महेश भगवती बल्दवा एजूकेशनल फाउन्डेशन, हैदराबाद
15. महासभा द्वारा प्रेरित, स्थापित, निर्मित अन्य पंजीकृत ट्रस्ट, सोसायटी, कंपनी या संस्था।

09. महासभा की सदस्यता :-

01. सामान्य सदस्य-

माहेश्वरी समाज के सर्व स्त्री, पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो, महासभा के सामान्य सदस्य माने जाएंगे।

02. सक्रिय सदस्य-

महासभा के श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत शहरी/क्षेत्रीय, ग्राम, नगर, तहसील, जिला अथवा प्रादेशिक सभा के क्षेत्र में रहने वाले माहेश्वरी भाई-बहन संबंधित क्षेत्र के अवयव/ईकाई/एसोसिएट के नियमानुसार शुल्क देकर सक्रिय सदस्य बन सकेंगे। ये सदस्य उस अवयव/ईकाई/एसोसिएट की सभाओं में एवं संबंधित कार्यकारी मंडल के चुनाव में भाग ले सकेंगे। सदस्यता एक व्यक्ति प्रति परिवार के हिसाब से होगी वह संबंधित अवयव/ईकाई/एसोसिएट का निर्धारण व्यक्ति के निवास स्थान के आधार पर होगा। परिवार से तात्पर्य एक ही रसोई घर में भोजन करने वाले सदस्यों से है। यदि वह व्यक्ति अपनी दोहरी सदस्यता को छिपाता है तो उसकी दोनों स्थानों की सदस्यता समाप्त की जावेगी।

03. सहयोगी सदस्य-

सत्र की प्रथम कार्यकारी मंडल की बैठक तक कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सत्र शुल्क देने वाले व्यक्ति सहयोगी सदस्य माने जाएंगे। सहयोगी सदस्य को उस सत्र की उनसे संबंधित अंचल में आयोजित महासभा कार्यकारी मंडल की बैठक की सूचना दी जाएगी। विषयों की चर्चा में वे सहभागी हो सकेंगे लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

महासभा के नये सत्र हेतु आयोजित चुनाव की सभा में सहयोगी सदस्य आमंत्रित नहीं रहेंगे।

10. सदस्यता के नियमः-

01. सामान्यतः महासभा के सभी सदस्यों के अधिकार समान होंगे। परंतु महासभा के कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति की बैठकों में मतदान का अधिकार केवल कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति के सदस्यों को ही होगा।
02. महासभा के कार्यकारी मंडल की तथा कार्यसमिति की सदस्यता संबंधी नियम-उपनियम बनाने एवं शुल्क निर्धारण करने का अधिकार महासभा की कार्यसमिति को होगा।
03. क्षेत्रीय/स्थानीय/नगरीय/तहसील सभा, जिला सभा एवं प्रदेश सभा आदि के नियम-उपनियम बनाने तथा सदस्यता शुल्क निर्धारण का अधिकार प्रदेश सभा की कार्यसमिति को होगा। इस संबंध में महासभा द्वारा स्वीकृत मापदंड मान्य होंगे।
04. धारा-8 (अ) के अंतर्गत उल्लेखित अवयवों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के लिए महासभा के नियमों एवं आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा।
(जिला/तहसील/नगर व ग्राम सभा के सदस्यों को छोड़कर) इकाइयों के पदाधिकारी तथा सदस्यों के लिए आचार संहिता का पालन अपेक्षित होगा।

11. तहसील, जिला एवं प्रादेशिक सभाएँः-

01. श्रृंखलाबद्ध संगठन के निर्माण हेतु तहसील एवं जिला सभा का महासभा द्वारा पारित एवं प्रकाशित मॉडल विधान के अनुरूप गठन होगा। इनमें परिस्थितियों के अनुरूप कुछ परिवर्तन आवश्यक हो तो, उस संगठन के ऊपर के संगठन की कार्यसमिति की सहमति से किया जा सकेगा। तहसील सभा के विधान को जिला सभा से तथा जिला सभा के विधान को प्रदेश सभा से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा तथा वे जिला सभायें जहां 2000 से अधिक परिवार रहते हैं उस जिला सभा के विधान को महासभा से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
02. प्रदेश सभा का गठन महासभा द्वारा प्रकाशित मॉडल विधान के अनुरूप प्रदेश सभा द्वारा निर्मित एवं महासभा द्वारा अनुमोदित विधान के अनुसार होगा।
03. किसी प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भिन्न होने पर उस प्रदेश के विधान में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार महासभा कार्यसमिति को होगा।
04. श्रृंखलाबद्ध संगठन के अंतर्गत प्रत्येक अवयव को अपने ऊपर के अवयव से संबद्धता लेना आवश्यक होगा। महासभा कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत सम्बद्धता संबंधित नियम मान्य होंगे।
05. प्रत्येक प्रादेशिक सभा को अपना प्रतिवेदन तथा पारित हिसाब महासभा के महामंत्री कार्यालय को वर्ष समाप्ति से अधिकाधिक छः माह में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
06. प्रादेशिक सभा विधानानुसार जिला सभा स्थापित करेगी। जिला सभा विधानानुसार क्षेत्रीय, नगरीय, स्थानीय, ग्राम एवं तहसील सभाओं की स्थापना करेगी।
07. जिला सभा अपने अंतर्गत आने वाली सभाओं का क्षेत्र निर्धारण और नामकरण कर सकेगी।
08. प्रादेशिक कार्यकारी मंडल के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जिला सभाओं के द्वारा होगा। अ.भा. कार्यकारी मंडल सदस्यों का निर्वाचन जिला सभाओं द्वारा प्रदेश कार्यसमिति के निर्देशानुसार होगा।
09. अनुशासन के संदर्भ में श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत निर्मित सभी अवयवों पर महासभा का नियंत्रण सर्वोपरि एवं सर्वमान्य होगा।
10. तहसील, जिला एवं प्रादेशिक सभाओं के कार्यकाल का आरंभ व समापन महासभा के सत्रानुसार ही होगा।

12. संगठनात्मक अवयव/ईकाई/एसोसिएट- गठन, चुनाव आदिः-

(अ) संगठनात्मक अवयव/ईकाई/एसोसिएट-

01. समाज के विशिष्ट समूह अथवा कार्य के लिए महासभा विभिन्न संगठनात्मक अवयव/ईकाई/एसोसिएट स्थापित कर सकेगी। जैसे कि महिलाओं के लिए अ.भा. माहेश्वरी महिला संगठन एवं युवा वर्ग के लिए अ.भा. माहेश्वरी युवा संगठन है।
03. उपरोक्त अवयव/ईकाई/एसोसिएट से बेहतर समन्वय हेतु महासभा द्वारा समन्वय समिति का निर्माण किया जा सकेगा। जिसमें तीनों संगठनों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष एवं महामंत्री का समावेश रहेगा।
04. उपरोक्त अवयव/ईकाई/एसोसिएट द्वारा किसी भी तरह की चल-अचल संपत्ति का निर्माण अथवा न्यास की स्थापना करने के पूर्व महासभा कार्यसमिति की सहमति आवश्यक होगी। लेकिन महिला व युवा संगठन के बनने वाले नये ट्रस्ट या संस्थाओं को लागू करने के पूर्व महासभा, महिला व युवा संगठन की समन्वय समिति मीटिंग में

चर्चा करना आवश्यक रहेगा। चर्चा एवं स्वीकृति पश्चात् ट्रस्ट डीड/विधान बनाकर लागू माना जावेगा।

05. ऐसे संगठनों को अपना वार्षिक हिसाब वर्ष समाप्ति के छः महीने के भीतर अंकेक्षित कराकर महासभा कार्यसमिति को अनिवार्यतः भेजना होगा।

06. महासभा द्वारा स्थापित विभिन्न संगठनात्मक अवयव/ईकाई/एसोसिएट का विधान महासभा कार्यसमिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। इन अवयव/ईकाई/एसोसिएट के विधान/ट्रस्ट डीड भी महासभा द्वारा स्वीकृत स्थानीय/नगरीय, तहसील, जिला एवं प्रदेश सभा के मॉडल विधान के समरूप एक परिवार एक सदस्य के सदृश्य होंगे तथा इन अवयव/ईकाई/एसोसिएट से संबंधित श्रृंखलाबद्ध सभी अवयव/ईकाई/एसोसिएट के विधान/ट्रस्ट डीड का अनुमोदन भी महासभा के विधान की धारा 11 (4) के अनुसार अपने से ऊपर वाले संगठन से कराना होगा।

(ब) माहेश्वरी पत्रिका :-

01. माहेश्वरी पत्रिका महासभा का ''मुखपत्र'' है।

02. माहेश्वरी पत्रिका के संचालन हेतु 5 सदस्यीय 'संचालक मंडल' (बोर्ड) जिसमें एक अध्यक्ष तथा एक संचालक होगा का गठन कार्यसमिति द्वारा किया जाएगा। माहेश्वरी बोर्ड के अध्यक्ष को अधिकतम 3 सदस्यों को कार्यसंचालन की दृष्टि से मनोनीत करने का अधिकार होगा।

03. माहेश्वरी पत्रिका का वार्षिक अंकेक्षित हिसाब संचालक द्वारा वर्ष समाप्ति से छः मास के भीतर कार्यसमिति को अनिवार्य रुप से प्रेषित किया जाएगा।

04. महासभा के उद्देश्यों के परिप्रेक्ष में माहेश्वरी पत्रिका में सामग्री प्रकाशन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार संचालक मंडल को होगा। आवश्यकतानुसार महासभा कार्यसमिति इस संदर्भ में दिशा-निर्देश दे सकेगी।

13. महासभा के द्वारा ट्रस्टों का निर्माणः-

महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महासभा को विविध ट्रस्ट,सोसायटी,कंपनी या संस्था स्वतंत्र इकाइयों के रूप में निर्मित एवं स्थापित करने का अधिकार होगा।ऐसी संस्थाओं की स्थापना एवं पंजीकरण हेतु जो ट्रस्ट डीड बनाई जाएगी उसमें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित ट्रस्ट,सोसाइटी,कंपनी या संस्था उनकी ट्रस्ट डीड के प्रावधानों की परिधि में स्वतंत्र रुप से कार्य करते हुए भी महासभा,प्रदेश एवं जिला सभा के नीति निर्देशो के अनुसार एवं संपूर्ण समन्वय रखते हुए कार्य कर सके। भविष्य में स्थापित होने वाले पंजीकृत ट्रस्टों का महासभा से संपूर्ण समन्वय बना रहे इस हेतु ट्रस्ट में महासभा के वर्तमान सभापति एवं महामंत्री अथवा महासभा कार्यसमिति द्वारा निर्धारित अधिकतम दो सदस्यों का समावेश किया जाना चाहिए।भविष्य में स्थापित होने वाली इकाइयों के ट्रस्ट डीड महासभा कार्यसमिति द्वारा गठित समिति के अनुमोदन के बाद ही पंजीकृत हो सकेंगे।

13. (अ) प्रादेशिक ट्रस्टः-

01. परिवारों की संख्या के आधार पर प्रदेश ट्रस्ट के कॉरपस फंड की न्यूनतम सीमा निम्न अनुसार रहेगी व प्रदेश मे एक से अधिक ट्रस्ट अलग-अलग उद्देश्य हेतु निर्मित होने पर प्रदेश सभा मान्यता देकर बना सकती है।

(क) जिन प्रदेशों में 15 हजार से अधिक परिवार निवास करते हैं उन प्रदेशों के प्रदेश ट्रस्ट का कॉरपस फंड न्यूनतम 2 करोड़ रुपये का होना आवश्यक है।

(ख) जिन प्रदेशों में 8 हजार से 15 हजार परिवार निवास करते हैं उन प्रदेशों के प्रदेश ट्रस्ट का कॉरपस फंड न्यूनतम 1 करोड रूपये का होना आवश्यक है।

(ग) जिन प्रदेशों में 3 हजार से अधिक व 8 हजार से कम परिवार निवास करते हैं वहां के प्रदेश ट्रस्ट का कॉरपस फंड न्यूनतम 50 लाख रुपये का होना आवश्यक है।

(घ) जिन प्रदेशों में 3 हजार से कम परिवार निवास करते है वहां के प्रदेश ट्रस्ट का कारपस फंड न्यूनतम 20 लाख रुपये का होना आवश्यक है।

02. प्रदेश ट्रस्ट द्वारा उद्देश्य पूर्ति हेतु विधवा,परित्यक्ता बहनों तथा जरूरतमंद वृद्धजनों को प्रतिमाह सहायता दी जाएगी।

03. सामान्य आर्थिक स्थिति के छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

04. सामान्य आर्थिक स्थिति के परिवारों को चिकित्सा हेतु आर्थिक सहयोग दिया जायेगा।

05. उपरोक्त किसी एक उद्देश्य अथवा उससे अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम निम्न प्रकार से सहायता राशि प्रतिवर्ष व्यय करना आवश्यक होगा।
विधान की धारा 13(अ)1 क-के अंतर्गत आने वाले ट्रस्टो हेतु बीस लाख रुपये प्रति वर्ष।
विधान की धारा 13(अ)1 ख-के अंतर्गत आने वाले ट्रस्टो हेतु दस लाख रुपये प्रतिवर्ष।
विधान की धारा 13(अ)1 ग-के अंतर्गत आने वाले ट्रस्टो हेतु पाँच लाख रुपये प्रति वर्ष।
विधान की धारा 13(अ)1 घ-के अंतर्गत आने वाले ट्रस्टो हेतु दो लाख रुपये प्रति वर्ष।

06. विशेष परिस्थितियों में कार्यसमिति किसी प्रादेशिक ट्रस्ट के कॉरपस फंड अथवा व्यय की न्यूनतम सीमा को पुनर्निर्धारित कर सकती है।

07. बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र के माध्यम से शिक्षा ऋण पर ब्याज में प्रदेश सभा द्वारा दिया जाने वाला अंशदान भी उपरोक्त व्यय में सम्मिलित माना जाएगा।

08. प्रादेशिक ट्रस्टों का पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

09. उपरोक्त मापदंड को पूरा करने पर ही प्रादेशिक ट्रस्ट के प्रतिनिधि को महासभा कार्यकारी मंडल में पदेन सदस्यता प्रदान की जा सकेगी।

10. प्रदेश ट्रस्ट को अपना कारपस फंड प्रगति विवरण व अंकेक्षित लेखों की जानकारी वर्ष समाप्ति के 7 माह में महासभा व प्रदेश सभा को अनिवार्य रुप से देनी होगी, साथ ही सत्र में दो वर्ष उपरोत्तानुसार राशि व्यय करना आवश्यक होगा एवं इसकी जानकारी नहीं देने की स्थिति में महासभा, कार्यकारी मंडल सदस्यता रिक्त मानी जावेगी।

11. प्रदेश ट्रस्ट का कॉरपस फंड पाँच करोड़ से अधिक होने पर 10% राशी प्रतिवर्ष व्यय करना आवश्यक रहेगा महासभा कार्यकारी मंडल में पदेन सदस्यों की संख्या दो होगी।

12. पाँच करोड़ से दस करोड़ की राशी के निर्मित नए प्रदेश ट्रस्टो को अपने कॉरपस फंड की राशी का 10% सालाना खर्च करना अनिवार्य होगा ।

13. दस करोड रुपये से अधिक कॉरपस फंड वाले ट्र स्टो को प्रतिवर्ष 10% व्यय करना अनिवार्य होगा, ट्रस्टों द्वारा निर्देशित राशी व्यय नही होने की स्थिति मे कार्यसमिति उस संगठन या ट्रस्ट की सदस्य संख्या अनुपातिक आधार पर कम कर सक्ती है जो सभी के लिए मान्य होगी ।

14. कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति - कार्य परिधिः-

कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति महासभा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने वाले दो मुख्य अवयव हैं। उद्देश्यों का नीति का तथा उसकी पूर्ति करने का कार्य इन्ही दो अवयवों तथा इनके सदस्यों का होगा। उद्देश्य पूर्ति एवं गतिविधियों का संचालन करने में, सुगमता हो इस दृष्टि से सामान्यतः कार्यसमिति कार्य में गति देने में पहल करेगी एवं निर्णय ले सकेगी। कार्यसमिति को अपने द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों की पुष्टि कार्यकारी मंडल की आगामी बैठक में कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः कार्यसमिति नीति निर्धारण के निर्णयों के प्रति कार्यकारी मंडल को जवाबदेह रहेगी।

कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति के दायित्व एवं अधिकारों का इस संविधान में जो उल्लेख है उसे सामान्यतः एक दूसरे का पूरक समझना चाहिये।

15. कार्यकारी मंडल का गठनः-

01. व्यवस्था की दृष्टि से महासभा कार्यक्षेत्र को 5 भोगोलिक अंचलों में विभाजित किया है। पूर्वांचल, उत्तरांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल।
इन पांच अंचलों को कार्यसुविधा की दृष्टि से 27 प्रदेशों में विभाजित किया है।महासभा के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु कार्यकारी मंडल का गठन निम्नानुसार होगा।
   - क) जिला सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं प्रादेशिक सभा द्वारा अनुमोदित सदस्य।
   - ख) प्रदेश सभाओं के निर्वाचित अध्यक्षगण।
   - ग) अवयवों द्वारा मनोनीत सदस्य।
   - घ) पदेन सदस्य।
   - ड) सभापति द्वारा मनोनीत सदस्य।
   - च) विशिष्ट सदस्य।

(क) जिला सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं प्रादेशिक सभा द्वारा अनुमोदित सदस्यः-

महासभा द्वारा निर्धारित अंचलों के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों की जिला सभाओं द्वारा निर्वाचित एवं प्रदेश सभा द्वारा अनुमोदित कार्यकारी मंडल सदस्यों की संख्या की सूची परिशिष्ट 'ब' अनुसार होगी, जो कि प्रत्येक सत्र में महासभा कार्यसमिति द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश सभा द्वारा प्रेषित प्रपत्र के अनुसार निर्धारित होगी।

अंचल	प्रदेश		सदस्य संख्या
01. पूर्वांचल :			**वर्तमान**
01.	कोलकाता	-	18
02.	प.बंगाल (15), बांगलादेश (1) सिक्किम (1) भूटान (1)	-	18
03.	बिहार (7) एवं झारखंड (11)	-	18
04.	उड़ीसा	-	18
05.	पूर्वोत्तर क्षेत्र असाम (15), मेघालय, नागालैण्ड अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम सभी मिलाकर (3)	-	18
06.	नेपाल चेप्टर	-	18
02. उत्तरांचल :			
07	पूर्वी उत्तर प्रदेश	-	18
08.	मध्य उत्तर प्रदेश	-	18
09.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	-	18
10.	दिल्ली –नोएडा	-	18
11.	हरियाणा (9), पंजाब (7) हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू एवं काश्मीर(1)	-	18
03. मध्यांचल :			
12.	छत्तीसगढ़	-	18
13.	पूर्वी मध्यप्रदेश	-	18
14.	पश्चिम मध्यप्रदेश	-	18
15.	गुजरात	-	18
16.	विदर्भ	-	18
04. पश्चिमांचल :			
17.	उत्तरी राजस्थान	-	18
18.	पूर्वोत्तर राजस्थान	-	18
19.	मध्य राजस्थान	-	18
20.	पूर्वी राजस्थान	-	18
21.	दक्षिणी राजस्थान	-	18
22.	पश्चिमी राजस्थान	-	18
05. दक्षिणांचल :			
23.	मुंबई	-	18
24.	महाराष्ट्र	-	18
25.	तेलंगाना व आन्ध्र	-	18
26.	तमिलनाडु (16) केरल (1) एवं पांडीचेरी (1)	-	18

	27. कर्नाटक (17) एवं गोवा (1)		18
ख.	प्रदेश सभाओं के निर्वाचित अध्यक्षगण	-	27
ग.	01.अ.भा. माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा मनोनीत (संगठन के सूचीबद्ध सदस्यों हेतु)	-	15
	02. अ.भा. माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा मनोनीत (संगठन के सूचीबद्ध सदस्यों हेतु)	-	15
	03. विदेशी माहेश्वरी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं अनिवासी विदेशी माहेश्वरी बंधु	-	10

प्रादेशिक सभाओं द्वारा प्रेषित प्रपत्र के आधार पर कार्यसमिति को उक्त अंचलों एवं प्रदेशों की सीटों का पुनः निर्धारण एवं परिवर्तन का अधिकार होगा जो कि सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार परिशिष्ट 'ब' में प्रति सत्र अलग से दर्शाकर कार्यसमिति प्रदेश सभाओं को सूचित करेगी एवं इसकी पुष्टी कार्यकारी मंडल मे अनिवार्य रुप से करावेगी।

प्रस्तावित कार्यकारी मंडल सदस्य संख्या का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट (अ)1 के अनुसार किया गया है।

विदेशो मे कार्यरत माहेश्वरी संगठनों के अध्यक्ष व मंत्री महासभा कार्यकारी मंडल के विशेष आमंत्रित सदस्य होगें जिनका मनोनयन करने का अधिकार पदाधिकारियों को होगा। विदेशों में अस्थाई रूप से निवास करने वाले माहेश्वरी अपनी संबंधित प्रादेशिक सभा के प्रथम स्तरीय संगठन के कार्यकारी मंडल के सदस्य हो सकेंगे।

महासभा कार्यकारी मंडल के सदस्य, जिस तहसील जिला तथा प्रदेश में निवास करते हैं, उस ग्राम, नगर, तहसील, जिला एवं प्रदेश सभा की कार्यकारी मंडल के प्रदेश पदेन सदस्य होंगे।

(घ) पदेन सदस्यः-

निम्न महानुभाव कार्यकारी मंडल के पदेन सदस्य होंगे।

01. महासभा के समस्त पदाधिकारी।
02. गत सत्र के महासभा के सभी पदाधिकारी।
03. महासभा के सभी पूर्व सभापति एवं महामंत्री।
04. युवा संगठन के वर्तमान अध्यक्ष एवं महामंत्री।
05. युवा संगठन के सभी पूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री।
06. महिला संगठन की वर्तमान अध्यक्ष एवं महामंत्री।
07. महिला संगठन की सभी पूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री।
08. माहेश्वरी बोर्ड के सभी सदस्य। (अधिकतम 8)
09. श्री कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट के न्यासी (अधिकतम 21)।
10. श्री आदित्य विक्रम बिडला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र की प्रबंधकारिणी के सदस्य (अधिकतम 21)।
11. श्री बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेअर सोसायटी - अधिकतम 21 सदस्य, (1.5 करोड़ की राशी प्रतिवर्ष व्यय होने पर)
12. श्री रामगोपाल माहेश्वरी स्मृति शिक्षा केंद्र के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा केंद्र द्वारा मनोनीत 2 न्यासी।
13. श्री कोठारी बंधु शोर्य स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा ट्रस्ट द्वारा मनोनीत 2 न्यासी।
14. श्री बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केन्द्र के - अधिकतम 11 सदस्य, (50 लाख राशि वितरित करने पर)
15. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-श्री गंगाधर बंशीलाल राठी माहेश्वरी छात्रावास, पुणे के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा ट्रस्ट द्वारा मनोनीत 2 न्यासी।
16. अ.भा माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-श्री सेठ मीठालाल राठी एवं सेठ श्री किशनदास डागा माहेश्वरी छात्रावास, भिलाई के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा ट्रस्ट द्वारा मनोनीत 2 न्यासी।
17. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट-श्री बालचंद मोदी माहेश्वरी छात्रावास, कोटा के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा ट्रस्ट द्वारा मनोनीत 2 न्यासी।
18. अ.भा.माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट-श्रीमती केसरबाई सोनी माहेश्वरी विद्यार्थी गृह,मुंबई के अध्यक्ष

एवं मंत्री अथवा ट्रस्ट द्वारा मनोनीत 2 न्यासी।

19. अ.भा.माहेश्वरी एजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट-श्री जयचन्दलाल करवा माहेश्वरी हॉस्टल, दिल्ली के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा ट्रस्ट द्वारा मनोनीत 2 न्यासी।
20. प्रोफेशनल प्रकोष्ठ के संयोजक एवं सह संयोजक।
21. गत महाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष एवं स्वागत मंत्री।
(जिस सत्र में महाधिवेशन होता है उसके आगामी 1 सत्र हेतु)
22. केन्द्रीय निर्वाचन समिति के सभी सदस्य (नवीन सत्र में मनोनीत होने वाले) (अधिकतम 11)
23. प्रादेशिक न्यासों के कॉरपस फंड एवं व्यय को ध्यान में रखते हुए धारा क्रमांक 13 (अ) में उल्लेखित निर्धारित कोटा अनुसार अध्यक्ष अथवा प्रबंधन्यासी अथवा मंत्री (न्यासों के निश्चयानुसार)
24. भविष्य के महासभा द्वारा गठित की जाने वाली अवयव/ईकाई/एसोसिएट /ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं मंत्री अथवा इकाइयों के निश्चयानुसार मनोनीत 2 सदस्य।
25. वर्तमान एवं पूर्व के ट्रस्टों की कार्यकारी मंडल सीटों को कम या ज्यादा करने का अधिकार कार्यसमिति को होगा।
26. भविष्य मे बनने वाले नवीन ट्रस्ट जिनका कॉरपस फंड 5 करोड़ एवं वार्षिक व्यय 50 लाख रुपये रहेगा, उन्हे कार्यकारी मंडल की 11 सींटे आवंटित होगी ।
27. भविष्य मे बनने वाले नवीन ट्रस्ट जिनका कॉरपस फंड 10 करोड़ एवं वार्षिक व्यय 1.5 क्रोड रुपये रहेगा, उन्हे कार्यकारी मंडल की 21 सींटे आवंटित होगी ।
28. अ.भा. माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर, भक्त निवास व संबंधित माहेश्वरी संस्थाओं के अध्यक्ष व मंत्री कार्यकारी मंडल के विशेष आमंत्रित सदस्य होगें, जिसकी जानकारी कार्यकारी मंडल सभा को दी जावेगी।

उपरोक्त इकाइयों (ट्रस्टों) द्वारा कार्यकारी मंडल हेतु मनोनीत सदस्यों की जानकारी संबंधित ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाही के साथ महासभा को भेजी जानी चाहिए व इसकी नोंध कार्यसमिति में की जानी चाहिए। सभी ट्रस्ट व संस्थाओं को निर्धारित कोटानुसार कार्यकारी मंडल सदस्यों का मनोनयन कर उनके नाम अनिवार्य रुप से महासभा सत्रारंभ के 6 माह के अंदर भेजना अनिवार्य होगा। सत्र के दो वित्तिय वर्ष में निर्धारीत व्यय मापदण्ड पूर्ण होना चाहिये। इसमें 20% कम ज्यादा होने पर सीटों के आबंटन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ड सभापति द्वारा मनोनीत सदस्य :

महासभा के सभापति अपने विवेक से कार्यकारी मंडल में अधिकतम 20 सदस्यों को मनोनीत कर सकेंगे। प्रत्येक अंचल से न्यूनतम 3 सदस्य मनोनीत किए जाने चाहिए। पदेन व मनोनीत सदस्यों को संबंधित प्रदेश एवं जिला सभा का निर्धारित सत्र शुल्क देकर सदस्य बनना आवश्यक होगा।

च. विशिष्ट सदस्य :

ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवाएं महासभा अवश्यक समझे, विशेषतः लोकसभा/ राज्यसभा/ विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, सरकारी उच्च पदस्थ व्यक्ति, विद्वान, चिंतक, लेखक, पत्रकार, कला एवं खेल क्षेत्र से जुड़े महानुभाव आदि को कार्यसमिति, कार्यकारी मंडल के विशिष्ट सदस्य मनोनीत कर सकेगी। (अधिकतम 10)

16. कार्यकारी मंडल के दायित्व, अधिकार, आहर्ता, कार्यकाल, बैंठके आदि :

01. दायित्व , अधिकार एवं आहर्ताः

कार्यकारी मंडल के दायित्व एवं अधिकार ही सामान्यतः मंडल सदस्यों के दायित्व और अधिकार माने जाएंगे

क. महासभा के उद्देश्यों को अग्रसर करने एवं नीतिगत प्रस्ताव पारित करना।

ख. पारित किए हुए प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु विविध योजनाएं बनाना।

ग. कार्यकारी मंडल के चयनित, मनोनीत, पदेन सदस्यों को कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सत्र शुल्क देना होगा। साथ ही माहेश्वरी पत्रिका का आजीवन सदस्य बनना अनिवार्य होगा एवं चुनाव के पूर्व कम से कम सत्र की तीन बैठकों में से दो बैठकों में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। जो सदस्य इन तीनों आहर्ता को पूर्ण नहीं करेंगे उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होगा एवं स्वयं प्रत्याशी भी नहीं बन सकेंगे तथा आगामी सत्र में पुनः कार्यकारी मंडल की सदस्यता प्राप्त नहीं होगी।

घ. आचार संहिता के नियम बनाने व उसमें परिवर्तन, परिवर्धन, संशोधन करने एवं उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार कार्यकारी मंडल को होगा।

ड. महासभा की कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत संविधान में संशोधन करने का अधिकार कार्यकारी मंडल का होगा। उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई मत से ही विधान में संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त बैठक में कार्यकारी मंडल

के 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। विधान संशोधन हेतु बुलाई गई बैठक के पूर्व संशोधित विधान का प्रारूप कम से कम 7 दिन पूर्व कोरियर सर्विस अथवा संचार के माध्यमों द्वारा भिजवाना अनिवार्य होगा।

च. महासभा के सभापति, उपसभापति, महामंत्री, अर्थ मंत्री, संयुक्त मंत्री एवं संगठन मंत्री का चुनाव करना।

छ. कार्यसमिति द्वारा लिए गए निर्णयों की अथवा पारित प्रस्ताव की पुष्टि करना। अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय के विषय में कार्यसमिति को कार्यकारी मंडल की पूर्व अनुमति लेना बंधनकारक होगा।

ज. निधन, अनुपस्थिति अथवा त्यागपत्र के कारण कार्यकारी मंडल के निर्वाचित सदस्य का जो स्थान रिक्त होगा उस स्थान पर संबंधित प्रादेशिक कार्यसमिति जिस जिला या क्षेत्र से वह सदस्य चुना गया था उस स्थान से जिला सभा की अनुशंसा से नया सदस्य मनोनीत करेगी। पदेन सदस्य का स्थान यदि रिक्त होगा तो उसकी पूर्ति नए पदेन सदस्य द्वारा होगी। सभापति द्वारा मनोनीत सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति सभापति द्वारा की जाएगी।

झ. चयनित कार्यकारी मंडल सदस्य को जहां से वह चुनकर आये है उन संगठनों को समय-समय पर सहयोग करना एवं महासभा से प्राप्त दिशा-निर्देशो की पालना करवाने हेतु प्रतिबद्ध रहना होगा एवं सदस्यों (पदेन सहित) कार्यकारी मंडल सदस्यों को जिला व प्रदेश सभा की बैंठको में 50% उपस्थिति रहना अनिवार्य रहेगा अन्यथा उनका मताधिकार रद्द किया जावेगा।

ञ. कार्यकारी मंडल सदस्य को प्रति सत्र पांच सदस्य माहेश्वरी पत्रिका के बनाना या दस हजार रुपये के विज्ञापन/सहयोग राशि सत्र में एक बार देना या दिलवाना अनिवार्य रहेगा। ऐसा नहीं करने पर उनको मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

प. यह व्यवस्था विशिष्ट कार्यकारी मंडल सदस्य पर लागू नही होगी जिनका धारा 15 (च) के अंतर्गत चयन हुआ है।

02. कार्यकाल :

सामान्यतः कार्यकारी मंडल का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

इस अवधि की समाप्ति पूर्व नए कार्यकारी मंडल का गठन होना आवश्यक होगा। विशेष कारणवश यह कार्यकाल कार्यसमिति के निर्णय अनुसार थोड़ा अधिक हो सकता है किंतु साड़े तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

03. बैठकें :

अ. पदाधिकारियों की बैठक - महासभा कार्यसमिति/कार्यकारी मंडल की बैठक से पूर्व महासभा पदाधिकारियों की बैठक होनी चाहिए जिसमें बैठक से संबंधित सभी विषयों पर पदाधिकारी चर्चा उपरांत एकमत हो सके। आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों की अतिरिक्त बैठक भी बुलवाई जा सकेगी। उक्त बैठक में लिए निर्णयों की आगामी कार्यसमिति/कार्यकारी मंडल बैठक में स्वीकृति आवश्यक होगी महासभा कार्यसमिति/कार्यकारी मंडल प्रत्येक मीटिंग के पूर्व महासभा, युवा संगठन व महिला संगठन समन्वय समिति की मीटिंग भी आवश्यक होगी ।

ब. कार्यकारी मंडल की बैठक सभापति की सहमति से महामंत्री द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाई जाएगी। विशेष परिस्थितियों में सभापति स्वयं बैठक बुला सकेंगे। वर्ष में एक बैठक होना आवश्यक होगा एवं सत्र में कम से कम तीन बैठके होगी। बैठक की गणपूर्ति पदाधिकारियों सहित 201 सदस्यों की होगी। बैठक की अग्रिम सूचना 60 दिन पूर्व कोरियर अथवा ई-मेल द्वारा भेजी जा सकेगी एवं बैठक में विचारार्थ विषयों की सूची बैठक के 30 दिन पूर्व डाक, कोरियर/ई-मेल/वाट्सएप/मैसेज/संचार के अन्य माध्यमों द्वारा प्रेषित की जाएगी तदापि सभापतिजी की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार हो सकेगा। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक 1 घंटे बाद अपना काम-काज कर सकेगी ऐसी बैठक में विषय पत्रिका में दिए हुए विषयों पर ही विचार हो सकेगा।

स. कार्यकारी मंडल के न्यूनतम 3 अंचल से कम से कम 125 सदस्य किसी विशेष कार्य (अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त) के लिए कार्यकारी मंडल की बैठक बुलाने हेतु सभापतिजी से लिखित आवेदन कर सकेंगे। सूचना मिलने की तारीख से 90 दिन में यदि सभापतिजी बैठक नहीं बुलाते हैं तो आवेदनकर्ता सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आवेदन की तारीख से 150 दिनों में उस आवेदन में वर्णित विषयों पर विचारार्थ बैठक आयोजित कर ले इस बैठक की सूचना सभी सदस्यों को डाक/कोरियर/ई-मेल/वाट्सअप/मैसेज/संचार के अन्य माध्यमों द्वारा प्रेषित की जाएगी। बैठक में केवल आवेदित विषयों पर ही विचार एवं निर्णय लिया जा सकेगा।

17. कार्यसमिति का गठन :

01. महासभा के पदाधिकारियों सहित कार्यसमिति का गठन नियमानुसार होगा।

(क)	महासभा के पदाधिकारी (धारा-19)	-	16
(ख)	प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य (धारा-17(2))	-	28
(ग)	समस्त प्रदेशों के निर्वाचित अध्यक्षगण	-	27
(घ)	पदेन सदस्य (धारा-17 (3))	-	15
(च)	सभापति द्वारा मनोनीत सदस्य (धारा-17(5))	-	05
(छ)	महासभा के निर्वत्तमान अध्यक्ष एवं महामंत्री	-	02
(ज)	कार्यसमिति द्वारा सहवरण (धारा-17(4))	-	02
	कुल	-	95

02. कार्यसमिति में प्रदेशों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार होगा।

पूर्वांचल (6)	**वर्तमान**
कोलकाता	01
पश्चिम बंगाल आदि	01
बिहार, झारखण्ड	01
नेपाल चेप्टर	01
उड़ीसा	01
आसाम आदि	01
उत्तरांचल (5)	
पूर्वी उत्तर प्रदेश	01
मध्य उत्तर प्रदेश	01
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	01
दिल्ली –नोएडा	01
हरियाणा, पंजाब आदि	01
मध्यांचल (5)	
छत्तीसगढ़	01
मध्य मध्य प्रदेश	01
पश्चिम मध्य प्रदेश	01
गुजरात	01
विदर्भ	01
पश्चिमांचल (6)	
उत्तरी राजस्थान	01
पूर्वोत्तर राजस्थान	01
मध्य राजस्थान	01
पूर्वी राजस्थान	01
दक्षिणी राजस्थान	01
पश्चिमी राजस्थान	01
दक्षिणांचल (6)	
मुंबई	01
महाराष्ट्र	02
तेलंगाना व आन्ध्र	01
तमिलनाडु, पाण्डेचेरी, केरल	01
कर्नाटक, गोवा	01

कार्यसमिति के उक्त सदस्यों का निर्वाचन प्रदेश से चयनित महासभा कार्यकारी मंडल के सदस्य एवं पदेन सदस्य अपने में से करेंगे। आवश्यक होने पर निर्वाचन के लिये गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जा सकेगी, यह निर्वाचन महासभा की केन्द्रीय चुनाव समिति के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में होगा। पर्यवेक्षक संबंधित प्रदेश से नहीं हो सकेगे। कार्यसमिति सदस्य हेतु प्रत्याशी महासभा के दो पूर्ण सत्र तक कार्यकारी मंडल का सदस्य होना अनिवार्य रहेगा।

प्रस्तावित कार्यसमिति सदस्य संख्या का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट (अ) 2 के अनुसार किया गया है।

03. पदेन सदस्य

01. श्री कृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी
02. अ.भा. माहेश्वरी युवा संगठन के वर्तमान अध्यक्ष
03. अ.भा.माहेश्वरी महिला संगठन की वर्तमान अध्यक्ष
04. माहेश्वरी पत्र के संचालक मंडल (बोर्ड) के अध्यक्ष
05. श्री आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र के अध्यक्ष अथवा कार्याध्यक्ष
06. प्रोफेशनल प्रकोष्ठ के संयोजक
07. श्री बांगड़ माहेश्वरी मेडिकल वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष अथवा मंत्री
08. श्री कोठारी बंधु शौर्य स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा प्रबंध न्यासी
09. श्री रामगोपाल माहेश्वरी स्मृति शिक्षा केंद्र के अध्यक्ष अथवा मंत्री
10. श्री बद्रीलाल सोनी माहेश्वरी शिक्षा सहयोग केंद्र के अध्यक्ष अथवा मंत्री
11. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, पुणे के अध्यक्ष अथवा मंत्री
12. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, भिलाई के अध्यक्ष अथवा मंत्री
13. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, कोटा के अध्यक्ष अथवा मंत्री
14. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, मुंबई के अध्यक्ष अथवा मंत्री
15. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल एंड चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के अध्यक्ष अथवा मंत्री
16. अ.भा. माहेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट, इन्दौर श्रीमती सीतादेवी जयनारायण जाजू छात्रावास, इन्दौर के अध्यक्ष अथवा मंत्री
17. अ.भा.माहेश्वरी एजुकेशनल ट्रस्ट, भीलवाड़ा, श्री प्रभुलाल जगदीशप्रसाद सोमानी छात्रावास, भीलवाड़ा के अध्यक्ष अथवा मंत्री
18. ए.बी. महेश भगवती बल्दवा एजुकेशनल फाउन्डेशन, हैदराबाद के अध्यक्ष अथवा मंत्री
19. केन्द्रीय चुनाव समिति के मुख्य चुनाव अधिकारी (नवीन सत्र हेतु मनोनीत)
20. भविष्य में महासभा द्वारा गठित ट्रस्टों या अवयव/ईकाई/एसोसिएट के अध्यक्ष अथवा मंत्री

(बिंदु क्रंमाक 07 से 18 तक के अध्यक्ष, मंत्री, प्रबंध न्यासी अथवा ट्रस्ट द्वारा मनोनित सदस्य)

04. सहवरित सदस्य :

कार्यसमिति महासभा के लिए जिनकी सेवा आवश्यक समझे ऐसे (अधिकतम 2) सदस्यों का सहवरण कर सकेगी।

05. सभापति द्वारा मनोनीत सदस्य :

सभापति महासभा के लिए जिनकी सेवाएं आवश्यक समझे ऐसे (अधिकतम 5) सदस्य मनोनीत कर सकेंगे।

पदेन, सहवरण एवं मनोनीत सदस्यों को कार्यकारी मंडल तथा संबंधित प्रदेश सभा का सदस्य बनना आवश्यक होगा।

06. विशेष आमंत्रित सदस्य

01. महासभा कार्यसमिति द्वारा गठित विभिन्न समितियों के संयोजकगण
02. सभी पूर्व सभापतियों को कार्यसमिति बैठक में नियमित निमंत्रित किया जावेगा।
03. महासभा के महामंत्री द्वारा सभापति की सहमति से आवश्यकतानुसार आमंत्रित (अधिकतम 20 व्यक्ति)
04. सभी प्रादेशिक सभा के मंत्री।
05. विशेष आमंत्रित महानुभावों को कार्यसमिति में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

18. कार्यसमिति के दायित्व , अधिकार, आहर्ता, कार्यकाल, बैठक आदि

01. दायित्व, अधिकार एवं आहर्ता :

कार्यसमिति के दायित्व एवं अधिकार ही सामान्यतः इसके सदस्यों के दायित्व एवं अधिकार माने जाएंगे।

(क) कार्यकारी मंडल द्वारा महासभा के उद्देश्य पूर्ति हेतु लिए गए नीतिगत निर्णयों को कार्यान्वित करना।

(ख) व्यवस्थापन की परिधि में आने वाले विषयों पर निर्णय लेना एवं उन्हें कार्यान्वित करना।

(ग) आवश्यकतानुसार समिति एवं उपसमितियों का गठन करना एवं उपनियम बनाना।

(घ) कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति के सदस्यों का शुल्क निर्धारित करना ।

(ड) वित्त पूर्ति हेतु योजना बनाना। महासभा का वार्षिक बजट पारित करना। महासभा का अंकेक्षित हिसाब-किताब पारित करना। अंकेक्षक की नियुक्ति करना। अंकेक्षित पारित हिसाब कार्यकारी मंडल की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना ।

(च) निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने अथवा महासभा के विधानानुसार कार्य नहीं करने की स्थिति में महासभा के अवयव को निरस्त करना। निरस्त करने के पूर्व संबंधित अवयव/ईकाई का स्पष्टीकरण मांगना अनिवार्य होगा ।

(छ) महासभा के संगठन के किसी अवयव का निरस्तीकरण होने की स्थिति में उस अवयव /ईकाई/एसोसिएट के पुनर्गठन हेतु आवश्यक प्रबंध करना। गठन होने में विलंब की संभावना हो तो कार्यसंचालन में असुविधा न हो इसलिए तदर्थ समिति का गठन करना। इस प्रकार तदर्थ समिति को निर्वाचन प्रक्रिया से गठित अवयव/ईकाई/एसोसिएट के समान अधिकार प्राप्त होंगे ।

(ज) महासभा के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट स्थापित/ निर्मित करना ।

(झ) महासभा से सम्बंधित किसी भी चुनाव के लिए आवश्यकतानुसार मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त करना अथवा चुनाव समिति गठित करना।

(ञ) महासभा के आदेशात्मक प्रस्तावों एवं नीति नियमों का पालन करना ।

(ट) कार्य विभाजन के अंतर्गत सोपे गये कार्य की जिम्मेदारी वहन करना।

(ठ) समिति के सदस्य लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उनका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकेगा। परंतु ऐसी कार्यवाही के पूर्व सम्बंधित सदस्य से स्पष्टीकरण मांगना अनिवार्य होगा ।

(ड) महासभा के संगठनात्मक अवयव/ईकाई/एसोसिएट को एवं अन्य संस्थाओं को आर्थिक सहयोग देना या लेना

(ध) महासभा के चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली से परंतु शालीनता के साथ हो इस हेतु चुनाव आचार संहिता निर्धारित करना ।

(न) संविधान में किये गए प्रावधानों के अनुसार साधारण अधिवेशन व महाधिवेशन आयोजित करना।

(प) कार्यकारी मंडल के पदेन एवं विशिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त जो सदस्य बिना सूचना दिए लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे उनका स्थान कार्यसमिति द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकेगा।

(फ) कार्यसमिति विभिन्न इकाइयों से मनोनीत कार्यकारी मंडल/कार्यसमिति सदस्यों हेतु न्यूनतम दायित्व निर्धारित कर सकेगी।

(ब) कार्यसमिति सदस्य को महासभा के निर्वाचन से पूर्व कम से कम कुल बैठकों का 60% उपस्थिति रहना आवश्यक होगा एवं माहेश्वरी पत्रिका के दस सदस्य प्रति सत्र बनाना या बीस हजार रुपये के सत्र में एक बार विज्ञापन देना या दिलवाना अनिवार्य रहेगा।

(भ) कार्यसमिति सदस्य हेतु एक सत्र प्रदेश कार्यकारी मंडल साथ ही एक सत्र प्रदेश कार्यसमिति का पूर्व में सदस्य रहा होना अनिवार्य है तथा महासभा कार्यकारी मंडल का दो सत्र सदस्य रहा हो।

02. कार्यकाल :

कार्यसमिति का कार्यकाल कार्यकारी मंडल की अवधि तक रहेगा।

03. बैठकें :

कार्यसमिति की बैठकें महामंत्री द्वारा सभापति की सहमति से आवश्यकतानुसार बुलाई जाएगी। विशेष परिस्थिति में सभापति स्वयं भी बैठक बुला सकेंगे। वर्ष में कार्यसमिति की दो बैठकें होना अनिवार्य होगा। बैठक की गणपूर्ति 40 सदस्यों की होगी। जिसमें पदाधिकारियों के अतिरिक्त 17 अन्य सदस्य होने चाहिए। बैठक की अग्रिम सूचना 30 दिन पूर्व दी जाएगी। विचारार्थ विषयों की सूची 15 दिन पूर्व प्रसारित करना अनिवार्य होगी। सभापति की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार हो सकेगा।

गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक 1 घंटे के बाद अपना काम-काज कर सकेगी जिसमें गणपूर्ति की शर्त नहीं रहेगी ऐसी बैठक में विषय पत्रिका में विचारार्थ विषयों पर विचार होगा।

19. महासभा के पदाधिकारी :-

महासभा के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे -

सभापति	-	01
उपसभापति	-	05
महामंत्री	-	01
अर्थमंत्री	-	01
संगठन मंत्री	-	01
संयुक्त मंत्री	-	05
कार्यालय मंत्री (सभापति कार्यालय)	-	01
कार्यालय मंत्री (महामंत्री कार्यालय)	-	01

कुल	-	16

20. पदाधिकारियों का निर्वाचन, पद ग्रहण, कार्य संचालन, अधिकार एवं दायित्व आदि :

01. सभापति, महामंत्री, अर्थमंत्री, संगठन मंत्री का निर्वाचन :

कार्यकारी मंडल के सत्र समाप्ति के पूर्व उपरोक्त सभी पदाधिकारियों का चुनाव वर्तमान कार्यकारी मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा।

02. उपसभापति, संयुक्त मंत्री का निर्वाचन :

पाँच उपसभापति एवं पाँच संयुक्त मंत्रियों का चुनाव भी सत्र समाप्ति के पूर्व अलग-अलग पाँच अंचलों के वर्तमान कार्यकारी मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा

03. कार्यालय मंत्री, (सभापति एवं महामंत्री कार्यालय) की नियुक्ति :

नवनिर्वाचित सभापति एवं महामंत्री स्वयं के कार्यालय के लिए एक-एक कार्यालय मंत्री की नियुक्ति करेंगे।

04. आगामी सत्र के चुनाव आंचलिक स्तर पर करवाने हेतु :

(अ) उपरोक्त सभी पदाधिकारियों का चुनाव महासभा के विधानानुसार निर्वाचन कमेटी द्वारा पांचों अंचल में बनाये गए केन्द्र (सेंटर) पर कार्यकारी मंडल सदस्यों द्वारा किये जावेगे।

(आ) चुनाव वाले स्थान पर निर्वाचन आचार सहिता का पालन करते हुए सिर्फ वर्तमान सत्र के कार्यकारी मंडल सदस्य (मतदाता) एवं प्रत्याशी ही भाग ले सकेंगे।

(इ) निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुख्यालय (केन्द्रीय चुनाव कार्यालय) से सभी केन्द्र (सेंटर) की मतगणना पश्चात प्राप्त मत संख्या को एकत्र कर परिणाम घोषित किए जावेगे एवं एक माह के अंदर आगामी सत्र की कार्यसमिति बैठक आमंत्रित कर सभी पदाधिकारियों को आगामी सत्र हेतु कार्यसंचालन के अधिकार सौप दिये जावेंगे।

(ई) चुनाव हेतु मतदाता पत्र/इलेक्ट्रीक मशीन का प्रयोग भी केन्द्रीय निर्वाचन समिति द्वारा किया जा सकेगा ।

05. प्रथम कार्यसमिति बैठक :

महासभा की प्रथम कार्यसमिति बैंठक के साथ महिला संगठन व युवा संगठन कार्यसमिति सदस्यों की संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक में भविष्य की योजनाएं निर्धारित की जा सकेगी।

जिस प्रदेश में बैठक आयोजित होगी उस प्रदेश सभा से चयनित महासभा कार्यकारी मंडल सदस्य एवं प्रदेश सभा के पदाधिकारी निमंत्रित किये जावेगे।

21. अहर्ताएं :

01. सभापति पद की अहर्ता -

निम्न किसी एक अहर्ता प्राप्त व्यक्ति ही सभापति पद का प्रत्याशी हो सकेगा -

(अ) महासभा का उपसभापति अथवा महामंत्री हो।

(आ) किसी प्रादेशिक संगठन का अध्यक्ष तथा एक पूर्ण सत्र तक महासभा कार्यसमिति सदस्य रहा हो।

(इ) महासभा कार्यसमिति के दो पूर्ण सत्र तक सदस्य रहा हो।

(ई) अ.भा. महिला संगठन अथवा युवा संगठन का अध्यक्ष रहा हो तथा एक अन्य पूर्ण सत्र तक महासभा कार्यसमिति सदस्य रहा/रही हो।

(उ) कार्यसमिति के 14 सदस्यों एवं कार्यकारी मंडल के अन्य 70 सदस्यों द्वारा प्रस्तावना पत्र प्राप्त कोई भी समाज बंधु महासभा सभापति पद का प्रत्याशी हो सकेगा। इनमें पांचों अंचलों में से प्रत्येक अंचल से कम से कम 7-7 सदस्य होना आवश्यक होगा।

(ऊ) उपरोक्त अहर्ता प्राप्त प्रत्याशी की उम्र (चुनाव की तिथि के दिन) न्यूनतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है।

02. महामंत्री पद की अहर्ता :

निम्न किसी एक अहर्ता प्राप्त व्यक्ति ही महामंत्री पद का प्रत्याशी हो सकेगा -

(अ) महासभा का पदाधिकारी रहा हो।

(आ) किसी प्रादेशिक संगठन का अध्यक्ष अथवा मंत्री तथा एक पूर्ण सत्र तक महासभा की कार्यसमिति का सदस्य रहा हो।

(इ) महासभा कार्यसमिति का दो पूर्ण सत्र तक सदस्य रहा हो।

(ई) युवा संगठन अथवा महिला संगठन का अध्यक्ष अथवा महामंत्री एक पूर्ण सत्र तक रहा/रही हो।

(उ) कार्यसमिति के 8 एवं कार्यकारी मंडलके 40 सदस्यों द्वारा प्रस्तावना पत्र प्राप्त कोई भी समाज जन महामंत्री पद का प्रत्याशी हो सकेगा परंतु प्रस्तावकों में पांचों अंचलों में से प्रत्येक अंचल कम से कम 4-4 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा।

(ऊ) महामंत्री पद की अहर्ता प्राप्त प्रत्याशी की उम्र (चुनाव की तिथि के दिन) न्यूनतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है।

03. अन्य पदाधिकारी पद की अहर्ता :

(निम्न किसी एक अहर्ता प्राप्त व्यक्ति हेतु)

(अ) महासभा का पदाधिकारी रहा हो।

(आ) प्रादेशिक सभा का एक पूर्ण सत्र तक अध्यक्ष अथवा मंत्री रहा हो।

(इ) कार्यकारी मंडल का दो पूर्ण सत्र तक सदस्य रहा हो।

(ई) कार्यसमिति का एक पूर्ण सत्र तक सदस्य रहा हो।

(उ) युवा संगठन अथवा महिला संगठन का एक पूर्ण सत्र अध्यक्ष अथवा महामंत्री रहा/रही हो।

(ऊ) अन्य पदाधिकारी पद की अहर्ता प्राप्त प्रत्याशी की उम्र (चुनाव की तिथि के दिन) न्यूनतम 40 वर्ष होना अनिवार्य है

04. पद की निरुद्धता :

महासभा का कोई भी पदाधिकारी दो सत्र से अधिक एक पद पर पदाधिकारी नहीं हो सकेगा। दो सत्र तक पदाधिकारी रहने के पश्चात् पुनः उस पद का प्रत्याशी भी नहीं हो सकेगा।

05. कार्यकारी मंडल सदस्य का कार्यसमिति में मनोनयन :

कार्यकारी मंडल सदस्यों में से किसी सदस्य का कार्यसमिति में मनोनयन होने से ऐसे सदस्य का कार्यकारी मंडल का स्थान रिक्त नहीं माना जाएगा।

22. पदाधिकारियों का दायित्व एवं अधिकार :

01. सभापति

महासभा के समस्त कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे। महासभा के साधारण अधिवेशन, कार्यकारी मंडल तथा कार्यसमिति की बैठक का सभापतित्व करेंगे। समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति सदस्यों में कार्य का वितरण करेंगे। महासभा को गतिशील बनाये रखने एवं उद्देश्य पूर्ति का प्रयास करेंगे।

02. उपसभापति

01. अपने अंचल के निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
02. सभापति द्वारा सौंपे गये कार्य करेंगे।
03. महासभा के कार्य संचालन में सभापति को सहयोग देंगे।
04. सभापति की अनुपस्थिति में जिस अंचल में सभा आयोजित हो उस अंचल के उपसभापति सभा का सभापतित्व करेंगे।

03. महामंत्री

महासभा के दिन प्रतिदिन कार्य संचालन का दायित्व महामंत्री का होगा। कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति के निश्चयानुसार कार्य करते हुए महासभा को सुदृढ करने में सभापति का सहयोग करेंगे। महासभा कार्यालय के संचालन, महासभा अधिवेशन तथा कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति बैठकों का आयोजन करने, सूचना भेजने, कार्यवाही रखने, महासभा के कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा महासभा की ओर से पत्र व्यवहार करने और विविध वैधानिक एवं अन्य कार्यवाहियां करने का दायित्व महामंत्री का होगा। महासभा के समस्त अभिलेख और महत्वपूर्ण प्रपत्र आदि महामंत्री की अभिरक्षा में रहेंगे। महामंत्री महासभा के स्वीकृत बजट के अनुसार खर्च करेंगे।

04. अर्थमंत्री

महासभा का वार्षिक बजट तैयार करेंगे। महासभा का हिसाब रखेंगे तथा स्वीकृत बजट के अनुसार अर्थ संग्रह की योजना बनाएंगे। महासभा के विभिन्न विभागों का हिसाब तैयार करेंगे और उसे अंकेक्षित कराकर कार्यसमिति की स्वीकृति के पश्चात कार्यकारी मंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

05. संगठन मंत्री

सभापति, महामंत्री एवं कार्यसमिति के निर्देशानुसार विविध संगठनात्मक कार्य संपादित करेंगे। महासभा के विभिन्न अवयवों एवं संगठनों को सक्रिय रखेंगे। भ्रमण, प्रचार आदि द्वारा संगठन को सुदृढ़ बनाएंगे।

06. संयुक्त मंत्री

01. सभापति एवं महामंत्री द्वारा सौंपे तथा कार्य विभाजन में सुपुर्द कार्य सपन्न करेंगे।
02. अपने अंचल का कार्य पूरा करने में उपसभापति का सहयोग करेंगे।
03. महासभा के संगठन को सुदृढ़ करने में तथा महामंत्री को उनके उत्तरदायित्व के निर्वाह में सक्रिय सहयोग देंगे।

07. कार्यालय मंत्री (सभापति कार्यालय)

सभापति के निर्देशन में महासभा के सभापति कार्यालय के प्रभारी रहेंगे।

08. कार्यालय मंत्री (महामंत्री कार्यालय)

महामंत्री के निर्देशन में महासभा के महामंत्री कार्यालय के प्रभारी रहेंगे।

दायित्व :

01. महासभा के आदेशात्मक नीति नियम-प्रस्तावों का पालन करना, सभी पदाधिकारियों का नैतिक दायित्व होगा एवं कार्य विभाजन में प्राप्त जिम्मेवारी वहन करना आवश्यक होगा।
02. राष्ट्रीय पदाधिकारी द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष व आंचलिक पदाधिकारियों को अपने दायित्व क्षेत्र में आ रहे प्रदेशों का मासिक भ्रमण कर समाज बंधुओं को महासभा की योजनाओं की जानकारी देना एवं जरुरतमंद समाज बंधुओं को उनका लाभ दिलवाने में मदद करना व महासभा की सभी बैठकों में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहना होगा। पदाधिकारी सत्र में तीन कार्यकारी मंडल बैठक नहीं आमंत्रित करवाते है तो उन्हें अगले सत्र के निर्वाचन में उम्मीद्वार बनने की पात्रता नहीं रहेगी एवं उनकी पदेन सदस्यता भी समाप्त होगी।
03. पदाधिकारियों द्वारा सत्र के दौरान माहेश्वरी पत्रिका के 20 सदस्य बनाना होगे या 20000/- का सहयोग देना/दिलवाना अनिवार्य होगा।

23. पदमुक्ति :

निम्न किसी एक कारण से सदस्यता व पदाधिकारी पद रिक्त समझा जाएगा।

01. मृत्यु से।
02. पागलपन से।
03. त्याग-पत्र स्वीकृत होने से।

04. कानूनी रुप से दिवालिया घोषित होने पर।
05. कार्यसमिति अथवा कार्यकारी मंडल के उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
06. पदेन सदस्य के पद का कार्यकाल समाप्त होने पर।
07. न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दो साल या उससे ज्यादा सजा में दंडित होने पर।
08. संविधान के प्रावधानों के अनुरुप पद मुक्ति का निर्णय होने पर।

24. रिक्त स्थान की पूर्ति :

01. पदेन सदस्य के रिक्त स्थान की पूर्ति नये पदेन सदस्य द्वारा होगी।
02. सभापति द्वारा मनोनीत सदस्यों के स्थान की पूर्ति सभापति द्वारा होगी।
03. सभापति, उपसभापति, महामंत्री, संगठन मंत्री, अर्थमंत्री, संयुक्त मंत्री के रिक्त स्थानों की पूर्ति कार्यसमिति करेगी।
04. पदाधिकारी पद के निर्वाचन से कार्यसमिति के रिक्त स्थान की पूर्ति प्रदेश कार्यसमिति द्वारा तथा कार्यकारी मंडल के जो स्थान रिक्त होंगे उसकी पूर्ति संबंधित जिला कार्यसमिति करेगी।

25. एक व्यक्ति एक पद संबंधी नीति :

महासभा की नीति रही है कि कोई भी व्यक्ति दो पदों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं ग्रहण करें, यह नियम क्षेत्रीय, नगरीय, स्थानीय, तहसील, जिला, प्रदेश एवं महासभा के अंतर्गत आने वाले संगठनों के सभी पदों पर लागू होगी। एक व्यक्ति का दूसरे स्थान पर चयन या निर्वाचन होने पर उसका पूर्व स्थान (पद) स्वतः रिक्त हो जावेगा। यह नीति पदेन सदस्यों पर लागू नहीं रहेगी।

26. महासभा का कोष, आय-व्यय पत्रक तथा हिसाब :

01. महासभा कार्य को सुचारु रुप से संचालन हेतु महासभा धन संग्रह कर सकेगी। संग्रहित धनराशि कार्यसमिति के निश्चयानुसार बैंक में रखी जाएगी। बैंक में अ.भा. माहेश्वरी महासभा के नाम से खाता खोला जाएगा। जिस पर निम्नलिखित पदाधिकारियों के हस्ताक्षार होंगे।
    (अ) सभापति (ब) महामंत्री (स) अर्थमंत्री
    उपरोक्त में से दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से बैंक खातों का संचालन हो सकेगा। अर्थमंत्री के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
02. महासभा की कार्यसमिति स्थायी कोष का निर्माण कर सकेगी। स्थायी कोष के लिए प्राप्त धन महासभा के स्थायी निधि के रुप में बैंक में जमा किया जाएगा और उस निधि के केवल ब्याज की आय ही खर्च की जा सकेगी। कार्यकारी मंडल की अनुमति से विशेष परिस्थिति में स्थायी कोष के रुपये खर्च किये जा सकेंगे।

27. चुनाव समिति :

महासभा कार्यसमिति द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रदेश तथा कार्यसमिति द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय निर्वाचन हेतु एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव समिति का गठन किया जायेगा।

01. सामान्यतः चुनाव तिथि के 12 माह पूर्व राष्ट्रीय चुनाव समिति का गठन किया जायेगा।
02. इस समिति में अधिकतम 13 सदस्य होंगे। एक मुख्य चुनाव अधिकारी व 10 सदस्य (प्रत्येक अंचल से 2 सदस्य) तथा 2 सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे।
03. मुख्य चुनाव अधिकारी एवं उपरोक्त सभी सदस्य किसी भी स्तर के (जिला, प्रदेश व महासभा) चुनाव में न तो किसी पद के प्रत्याशी होंगे न ही किसी प्रत्याशी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार कर सकेंगे। समिति सदस्य एक बार समिति में सम्मिलित हो जाने के पश्चात यदि त्याग-पत्र देते है, तो भी वह निर्वाचन में प्रत्याशी नहीं हो सकेगे। इसी प्रकार स्थानीय/जिला व प्रदेश संगठनो मे भी यह नियम अक्षरशः लागू होगा ।

अ) समिति का कार्यक्षेत्र दायित्व एवं अधिकार :

01. महासभा पदाधिकारियों एवं प्रदेश व कार्यसमिति द्वारा निर्धारित जिला सभाओं के चुनाव इस समिति द्वारा संपन्न करवाये जायेंगे। निर्धारित तिथियों में जिला या प्रदेश सभा के चुनाव संपन्न नहीं होने की स्थिति में वहां से चयनित कार्यसमिति व कार्यकारी मंडल सदस्य महासभा की निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्याशी नहीं बन सकेंगे एवं उन्हें मताधिकार भी नहीं रहेगा।
02. प्रदेश सभाओं एवं निर्धारित जिला सभाओं के चुनाव हेतु समिति द्वारा प्रत्येक जिला एवं प्रदेश सभा के चुनाव हेतु

3 सदस्यों की जिला व प्रादेशिक चुनाव समिति का गठन किया जा सकेगा। प्रदेश चुनाव समिति जिलों के चुनाव हेतु पृथक से चुनाव अधिकारी एवं सहयोगियों की नियुक्ति कर सकेगी और इसका अनुमोदन केन्द्रीय चुनाव समिति से कराना होगा। प्रादेशिक सभा एवं दो हजार परिवार से अधिक के जिला सभाओं के चुनाव अधिकारी व सहायको की नियुक्ति केन्द्रीय चुनाव समिति करेगी व उसमें उसे परिवर्तन का अधिकार भी होगा।

03. प्रादेशिक सभाओं के चुनाव की कार्यविधि व चुनाव आचार संहिता इसी समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
04. किसी भी प्रदेश सभा के चुनाव से संबंधित शिकायत राष्ट्रीय चुनाव समिति से की जा सकेगी। समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के बाद जो निर्णय दिया जायेगा वह अंतिम व सभी पक्षों को बाध्यकारी होगा।
05. जिला सभाओं की चुनाव संबंधी शिकायत प्रादेशिक चुनाव समिति से की जा सकेगी तथा विशेष परिस्थिती में प्रादेशिक चुनाव समिति के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय समिति में अपील की जा सकेगी। राष्ट्रीय समिति द्वारा जाँच के बाद दिया गया निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।
06. महासभा कार्यसमिति की बैठक में महासभा पदाधिकारियों के चुनाव हेतु कम से कम 100 दिन पूर्व चुनाव की तिथि की घोषणा की जायेगी।
07. उपरोक्त बैठक में ही महासभा के सभापति व महामंत्री द्वारा संयुक्त रुप से हस्ताक्षरित कार्यकारी मंडल के सदस्य अर्थात मतदाताओं की सूची राष्ट्रीय चुनाव समिति को सौंप दी जायेगी। इस सूची में बाद में कोई भी नाम नहीं जोड़ा जाएगा। चुनाव समिति को, किसी विशेष कारण से मतदाता का नाम हटाने का अधिकार रहेगा।
08. राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर के चुनावों से संबंधित सभी सूचनाएं महासभा के मुखपत्र 'माहेश्वरी' में समयानुसार प्रकाशित की जायेगी व इस प्रकाशन को चुनाव संबंधित विधिवत घोषणायें माना जाएगा।
09. चुनाव घोषित होने के पश्चात चुनाव समिति चुनाव की संपूर्ण समय सारिणी निर्धारित करेंगी।
10. चुनाव लोकतांत्रिक पद्धाति से गुप्त मतदान या इलेक्ट्रानीक मशीन द्वारा कराये जायेंगे।
11. चुनाव समिति, कार्यसमिति द्वारा पारित ''चुनाव आचार संहिता'' के अनुरुप चुनाव संपन्न कराएगी। आचार संहिता के प्रावधानों के संबंध में चुनाव समिति द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सभी संबंधितों पर बंधनकारी होगा।
12. चुनाव समिति द्वारा चुनाव संबंधी किसी भी पहलू पर लिया गया निर्णय सभी संबंधितों पर बंधन कारक होगा।
13. चुनाव के संदर्भ में चुनाव समिति को सर्वाधिकार प्राप्त रहेंगे।
14. चुनाव समिति में समान मत होने की स्थिति में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
15. प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति की प्राथमिक सदस्यता राष्ट्रीय चुनाव समिति निर्धारित समय के लिये निरस्त कर सकेगी।
16. प्रदेश निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ मान्य प्रक्रियाओं को न अपनाते हुए सीधे कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों की प्राथमिक सदस्यता राष्ट्रीय चुनाव समिति द्वारा छः वर्ष के लिये निरस्त कर सकेगी साथ ही राष्ट्रीय चुनाव समिति के निर्णय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायालय नही जा सकेगा।
17. राष्ट्रीय चुनाव समिति किसी भी स्तर के चुनाव की वैधानिकता का निरीक्षण करने के लिये अपना पर्यवेक्षक भेज सकेगी।
18. किसी प्रदेश सभा के चुनाव स्थगित होने अथवा अवैध घोषित हो जाने पर महासभा के अन्य किसी भी स्तर के चुनावों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा व न ही अन्य चुनाव की प्रक्रिया को रोका जायेगा।
19. चुनाव में व्यय होने वाली राशि का प्रबंध महासभा द्वारा किया जायेगा। आवश्यतानुसार राष्ट्रीय चुनाव समिति बैंक में खाता खोल सकेगी व उसका संचालन मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा किया जायेगा। समस्त चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होने पर महासभा कार्यसमिति के समक्ष चुनाव का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा।
20. महासभा के पदाधिकारियों के चुनाव की बैठक में महासभा/प्रदेश, जिला सभा व स्थानीय संस्था द्वारा चुनाव के पूर्व किसी भी तरह का मंच कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। प्रत्याशियों के परिचय हेतु मंच उपलब्ध कराया जा सकता है। चुनाव परिणाम घोषणा के बाद कोई भी कार्यक्रम किया जा सकेगा।
21. महासभा के पदाधिकारियों की चुनाव बैठक में सिर्फ वर्तमान कार्यकारी मंडल सदस्य (मतदाता) ही शामिल हो सकेंगे। अन्य कोई समाज बंधु (चुनाव कार्य हेतु स्थानीय सहयोगी बंधु व चुनाव अधिकारी की टीम में शामिल सदस्यों एवं मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा स्वीकृत पत्रकार बंधुओं को छोड़कर) शामिल नहीं होंगे।
22. महासभा की कार्यसमिति को चुनाव समिति की सदस्य संख्या, कार्यक्षेत्र व कार्यावधि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा।
23. जिला सभा, प्रदेश सभा के चुनाव हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी व सहयोगियों को महासभा केन्द्रीय निवार्चन समिति द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस हेतु महासभा, प्रदेश सभा व जिला सभा सहयोग करेगी। केन्द्रीय

निर्वाचन समिति का कार्यकाल नवीन निर्वाचन समिति के गठन तक रहेगा।

28. महासभा के अधिवेशन :

'साधारण अधिवेशन और महाअधिवेशन' ऐसे दो प्रकार के अधिवेशन आयोजित किये जा सकेंगे।

01. साधारण अधिवेशन :

सामान्यतः 3 वर्षो के बाद कार्यकारी मंडल का गठन होता है। नवगठित कार्यकारी मंडल की प्रथम बैठक का स्वरुप साधारण अधिवेशन का होगा।

02. महाधिवेशन :

सामान्यतः कार्यकारी मंडल के 2 सत्रों के बाद कम से कम 3 माह की सूचना देकर आम समाज बंधुओं को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से संपूर्ण समाज की उपस्थिति का आह्वान करते हुए जो वृहद अधिवेशन बुलाया जाएगा। उसका स्वरुप महाधिवेशन का होगा। महाधिवेशन के आयोजन को महासभा के अवयवों की किसी बैठक के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

03. महासभा अधिवेशन हेतु निमंत्रण :

महासभा के साधारण अधिवेशन के लिए प्रादेशिक सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर निमंत्रण दिया जा सकेगा। यदि प्रादेशिक सभा से प्रस्ताव न हो तो किसी अन्य सभा अथवा कार्यकारी मंडल की बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी पर अपने प्रदेश की ओर से निमंत्रण दे सकेंगे। यदि निमंत्रण स्थानीय अथवा उपस्थित प्रतिनिधियों से प्राप्त हो तो अधिवेशन के निमंत्रण की स्वीकृति का निर्णय कार्यसमिति द्वारा किया जाएगा।

04. अधिवेशनों की विषय सूची :

साधारण अधिवेशन में महासभा के सत्र की कार्य योजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। अधिवेशन में समाज के मार्गदर्शन एवं लाभ के लिये उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत किये जायेंगे एवं भविष्य की योजनायें निर्धारित की जा सकेंगी।

05. अधिवेशनों में निमंत्रित गण :

महासभा के साधारण अधिवेशन में नव गठित कार्यकारी मंडल के सदस्य, नव गठित महिला एवं युवा संगठन के कार्यकारी मंडल के सदस्य, उस अंचल के महासभा के सहयोगी सदस्य, प्रादेशिक सभा के नव गठित कार्यसमिति के सदस्य निमंत्रित किये जाएगें।

महाधिवेशन में इनके अलावा आम समाज बंधुओं को भी निमंत्रित किया जाएगा।

06. स्वागत समिति :

साधारण अथवा महाधिवेशन के आयोजन का निर्णय होने पर अधिवेशन संबंधी कार्यवाही के लिए प्रादेशिक अथवा स्थानीय सभा अस्थायी स्वागत समिति बनाकर एवं संयोजक की नियुक्ति कर कार्यारंभ करेंगी। अस्थायी स्वागत समिति द्वारा 100 या अधिक सदस्य बनाने के बाद स्थायी स्वागत समिति का गठन किया जाएगा जिसमें स्वागत समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन होगा। स्वागत समिति का कर्तव्य होगा कि अधिवेशन समाप्ति के छः माह के भीतर विवरण तथा अंकेक्षित हिसाब महासभा के महामंत्री तथा अर्थमंत्री के पास भेजें। महासभा कार्यसमिति आवश्यक समझे तो हिसाब माहेश्वरी पत्र में प्रकाशित कर सकती है। अधिवेशन के खर्च के उपरांत स्वागत समिति के पास जो राशि बची रहेगी उसका आधा भाग महासभा कार्यालय को दिया जाएगा एवं शेष आधा भाग आयोजक प्रादेशिक सभा को दिया जाएगा। स्थानीय संस्था द्वारा अधिवेशन आयोजित होने पर कार्यसमिति की स्वीकृति से अधिवेशन के आयोजन में सहयोग देने वाली स्थानीय संस्था को आधा भाग दिया जा सकता है।

07. प्रतिनिधि निर्वाचन :

महासभा के महाअधिवेशन में प्रतिनिधि निर्वाचन की प्रक्रिया का निर्धारण कार्यसमिति द्वारा किया जाएगा।

08. महाधिवेशन में प्रस्तुत होने वाले विषय :

महासभा महाधिवेशन में चर्चा हेतु प्रस्ताव निश्चित करने के लिए कार्यसमिति द्वारा 'विषय निर्वाचन समिति' का गठन किया जाएगा। गठन प्रणाली का निर्धारण भी कार्यसमिति करेगी।

09. मतगणना :

(अ) महासभा के महाधिवेशन में प्रत्येक प्रस्ताव सामान्य बहुमत से स्वीकृत होगा।

(ब) प्रत्येक प्रतिनिधि को एक मत का अधिकार होगा। मतदान हाथ उठाकर किया जाएगा परंतु 100 से अधिक प्रतिनिधियों से लिखित आवेदन पर गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाएगी। समान मतों की अवस्था में सभापति का मत निर्णायक मना जाएगा।

29. विशेष चुनाव :

महासभा के कार्यकारी मंडल तथा पदाधिकारियों का सामान्यतः सत्र का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। साधारणतः नये

चुनाव इस अवधि में किए जाने चाहिए। विशेष कारणवश जैसे कि महासभा का महाधिवेशन होने वाला हो तो यह कार्यकाल थोड़ा अधिक हो सकता है लेकिन साढ़े तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा। साढ़े तीन वर्ष से अधिक होने पर कार्यकारी मंडल के सदस्यों को अधिकार होगा कि बैठक बुलाने का आदेश 101 सदस्यों के हस्ताक्षर से महामंत्री को देकर निर्धारित चुनाव प्रणाली से सभापति का व अन्य पदाधिकारियों का चुनाव करवा लें।

30. आर्थिक वर्ष :

महासभा का आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा।

31. अनुशासनात्मक कार्यवाही :

(क) महासभा कार्यसमिति द्वारा 6 सदस्यों की एक अनुशासन-समिति का निर्माण किया जा सकेगा। इसमें एक संयोजक व प्रत्येक अंचल से एक-एक सदस्य रहेगा।

(ख) महासभा के किसी उद्देश्य प्रस्ताव अथवा नियम का उल्लंघन करने वाले कार्यसमिति अथवा कार्यकारी मंडल के सदस्य की सदस्यता अनुशासन समिति द्वारा निलंबित या निरस्त की जा सकेगी। इस प्रकार की कार्यवाही से पूर्व उस सदस्य का स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। संबंधित सदस्य अनुशासन समिति के निर्णय के संबंध में कार्यसमिति में निवेदन कर सकेगा। उक्त स्थिति में कार्यसमिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

(ग) किसी भी सदस्य द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के पूर्ण होने के पूर्व न्यायालय में जाने की कार्यवाही को अनुशासन भंग माना जायेगा एवं ऐसे सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

(घ) अनुशासन भंग की विशेष परिस्थिति में सभापति किसी सदस्य की सदस्यता तत्काल निलंबित कर सकेंगे। इस हेतु कार्यसमिति से कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित होगी।

(ड) समिति स्वतः संज्ञान (Sumoto Congnizance) द्वारा भी इस संदर्भ में कार्यवाही कर सकेगी।

32. कानूनी कार्यवाही :

महासभा की कोष संपत्ति अथवा हिसाब-किताब के संबध में आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही महामंत्री के नाम से की जाएगी और इस संबंध में उन्हें समुचित अधिकार प्राप्त होंगे।

33. वाद निवारण :

(क) किसी भी प्रकार के सामाजिक अथवा संगठनात्मक विवाद का निवारण, केन्द्रीय वाद निवारण समिति के माध्यम से अथवा कार्यसमिति द्वारा नियुक्त विशेष मध्यस्थ अथवा मध्यस्थता करने वाली समिति के द्वारा ही किया जाएगा। कार्यसमिति द्वारा गठित वाद निवारण समिति केन्द्रीय वाद निवारण समिति कहलाएगी।

(ख) यदि जिला अथवा प्रदेश सभा से संबंधित विवाद होगा तो प्रादेशिक विवाद समिति में निर्णय होगा। इसकी अपील केन्द्रीय वाद निवारण समिति में हो सकेगी।

(ग) कार्यकारी मंडल अथवा कार्यसमिति में कोई विवाद उपस्थित होने पर इसे केन्द्रीय वाद निवारण समिति को सौंपा जाएगा। केन्द्रीय वाद निवारण समिति के निर्णय के विरोध में कार्यसमिति में अपील की जा सकेगी तथा महासभा कार्यसमिति का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) उपरोक्त प्रक्रिया के पूर्ण होने के पूर्व यदि किसी भी सदस्य अथवा संस्था द्वारा न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया आरंभ की जाएगी तो उस सदस्य अथवा संस्था की सदस्यता अथवा संबद्धता कार्यसमिति द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

34. भाषा :

महासभा की भाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी। महासभा की समस्त संगठनात्मक गतिविधियों से संबंधित पत्राचार हिन्दी भाषा में ही होने चाहिए।

35. विसर्जन :

महासभा का विसर्जन करने के लिए महासभा कार्यकारी मंडल के 25 प्रतिशत सदस्यों (न्यूनतम 3 अंचल) द्वारा लिखित में यदि कोई प्रस्ताव महासभा अधिवेशन में प्रस्तुत हो तो उस पर विचार करने के लिए महासभा का अन्यत्र विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। इस अविवेशन में कार्यकारी मंडल के 60 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में 75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा विसर्जन

का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो उसे क्रियान्वित किया जाएगा। विसर्जन की प्रक्रिया में महासभा की समस्त संपत्ति किसी अन्य माहेश्वरी संस्था को सौंप दी जाएगी। जो महासभा के उद्देश्यानुसार माहेश्वरी समाज के उत्थान का कार्य करती हो। किसी भी स्थिति में महासभा की संपत्ति का वितरण व्यक्तिगत रुप से नहीं किया जाएगा।

36. संशोधित संविधान के क्रियान्वय की तिथि :

यह संशोधित विधान दिनांक 20 अगस्त 2017 को वृंदावन में संपन्न कार्यकारी मंडल में पारित किया गया।

कार्यकारी मंडल द्वारा संशोधित संविधान पारित होकर उसी दिन से कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति की सदस्य संख्या में परिवर्तन के प्रावधानों को छोड़कर इसके सभी प्रावधान कार्यान्वित माने जाएंगे।

कार्यकारी मंडल एवं कार्यसमिति की सदस्य संख्या में परिवर्तन का प्रावधान आगामी सत्र से लागू होगा, परंतु संलग्न परिशिष्ट (अ) के स्पष्टीकरण क्रमांक (ख) की बाध्यता रहेगी।

37. भविष्य में विधान संशोधन :

भविष्य में कार्यसमिति द्वारा गठित 'विधान संशोधन समिति' कार्यसमिति द्वारा निर्देशित बिंदुओं से संबंधित धाराओं के संदर्भ में ही संशोधन प्रस्तुत करेंगी। जिसे विधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जा सकेगा।

*****

परिशिष्ट - अ

01. प्रदेशों से प्रस्तावित कार्यकारी मंडल की सदस्य संख्या का आधार -

(अ) 2000 परिवार तक के सभी प्रदेशों को कार्यकारी मंडल में 18 स्थान (सीट) दिये गये है।

(ब) 2000 से अधिक परिवार के प्रदेशों को प्रति 500 परिवारों पर 1 स्थान (सीट) बढ़ाया गया है। अर्थात 18 स्थान (सीट) + प्रति 500 परिवार पर एक अतिरिक्त स्थान (सीट) की गणना की गई है।

02. प्रदेशों से कार्यसमिति सदस्य संख्या का आधार -

(अ) 20000 परिवार तक के सभी प्रदेशों को कार्यसमिति में एक स्थान (सीट) दिया गया है।

(ब) 20000 परिवार से अधिक परिवार के प्रदेशों को प्रत्येक 20000 परिवार तक पर एक अतिरिक्त स्थान (सीट) दिया गया है।

स्पष्टीकरण -

(क) 20 अगस्त 2017 को वृंदावन बैठक में पारित विधानानुसार कार्यकारी मंडल व कार्यसमिति की सदस्य संख्या (सीटों) में (जिन्हें इस विधान में वर्तमान लिखा गया है।) किसी भी तरह की कमी नहीं की जायेगी, किंतु इसके लिए स्पष्टीकरण (ख) की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

(ख) 26वें सत्र में प्रदेशों द्वारा ''संगठन आपके द्वार'' पुस्तिका के माध्यम से भेजे गये फार्म संख्या-2 के अनुसार प्रदेशों की पारिवारिक संख्या तय की गई है जिसे आज पुनः नई जनगणना (ईको सर्वे फार्म) के माध्यम से प्रदेशों ने महासभा को देना चाहिए। नहीं देने की स्थिति में उसका सीधा प्रभाव कार्यकारी मंडल सदस्यों की संख्या पर होगा।

(ग) भविष्य में भी परिशिष्ट (अ) के क्रमांक 1 व 2 एवं स्पष्टीकरण (क) तथा (ख) के अनुसार प्रदेशों से कार्यकारी मंडल व कार्यसमिति की सदस्य संख्या का पुर्ननिर्धारण किया जा सकेगा।

(घ) यह संशोधित विधान 28 वे सत्र की दिनांक 20 अगस्त 2017 से प्रभावशील रहेगा।

परिशिष्ट - ब

महासभा द्वारा निर्धारित अंचलों के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों की ग्राम, स्थानीय, तहसील, जिला सभाओं द्वारा प्रतिसत्र संकलित आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को प्रदेश सभा द्वारा अनुमोदन पर ही प्रदेशों के कार्यकारी मंडल सदस्यों की संख्या का निर्धारण 29वें सत्र व आगे के सत्रों की कार्यसमिति की संतुष्टि के पश्चात् किया जावेगा। (परिशिष्ठ - 'अ' के स्पष्टीकरण 'ख' व 'ग' के अनुसार)

वंदे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
शस्य श्यामलाम् मातरम्
वंदे मातरम् ।।१।।

शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीम्
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।।
वंदे मातरम् ।।२।।

कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले
कोटि कोटि भुजैधृत खरकरवाले
अबला केनो मां एतो बले।
बहुबल धारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदल–वारिणीम् मातरम्।।
वंदे मातरम् ।।३।।

तुमि विद्या तुमि धर्म,
तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहुते तुमि मां शक्ति,
हृदये तुमि मां भक्ति,
तोमारई प्रतिमा गडि,
मन्दिरे–मन्दिरे मातरम्।।
वंदे मातरम् ।।४।।

त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदल विहारिणी
वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वां,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्
सुजलाम् सुफलाम् मातरम्।।
वंदे मातरम् ।।५।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्
धरणीम् भरणीम् मातरम्।।
वंदे मारतम् ।।६।।

।। भारत माता की जय ।।

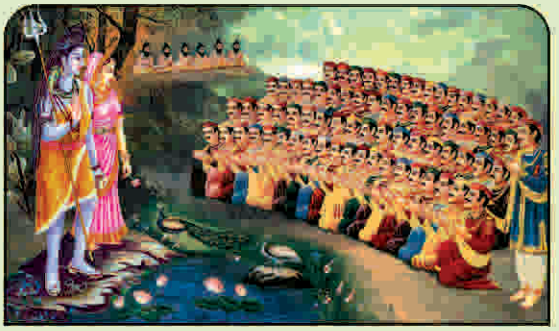

।*। महेश वंदना ।*।

किस विधि वन्दन करुं तिहारो–औढ़रदानी त्रिपुरारी।
बलिहारी–बलिहारी–जय महेश, जय बलिहारी।।

नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा।
मुन्ड माल गल बीच विराजत, महिमा है भारी..... बलिहारी.....

कर में डमरु त्रिशूल तिहारे, कटि में हर बाघंबर धारे।
उमा सहित हिम शैल विराजत, शोभा है न्यारी..... बलिहारी.....

पल में प्रभु तुम हो प्रलयंकर, बल में प्रभो सदय अभयंकर।
ऋषि मुनि भेद न पाय तिहारो, हम तो है संसारी..... बलिहारी.....

अगम निगम तव भेद न जाने, ब्रह्मा, विष्णु सदा शिव माने।
देवों के ओ महादेव अब, रक्षा करो हमारी..... बलिहारी.....

Printed By : Shree Gopal, Ngp. 9881739471